नईदुनिया

संपादकीय

बिजली बिल ने तोड़ी आम आदमी की कमर

प्रदेश सरकार को तुरंत राहत देनी होगी

प्रदेश भर में इस बार गर्मी ने जितनी तपिश दिखाई है, उतनी ही मार आम उपभोक्ताओं की जेब पर भी पड़ी है। जनवरी से जून के बीच बिजली की खपत में बेतहाशा वृद्धि हुई और इसके साथ ही लाखों घरेलू उपभोक्ता सब्सिडी के दायरे से बाहर हो गए। आंकड़े बताते हैं कि जनवरी में जहां 2 लाख 17 हजार से अधिक उपभोक्ता सब्सिडी का लाभ ले रहे थे, वहीं जून आते-आते यह संख्या घटकर 1 लाख 25 हजार रह गई। यानी छह महीने में लगभग एक लाख परिवारों की सब्सिडी समाप्त हो गई। यह कोई छोटी बात नहीं है। इसका सीधा असर मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों के घरेलू बजट पर पड़ा है।

समस्या केवल बिजली की खपत बढ़ने की नहीं है। समस्या यह भी है कि बिजली दरों का ढांचा ऐसा है कि थोड़ी-सी अतिरिक्त खपत होते ही उपभोक्ता एक स्लैब से दूसरे स्लैब में पहुंच जाता है और उसका बिल अचानक बढ़ जाता है। 100 यूनिट से 150 यूनिट पर पहुंचने वाले उपभोक्ता का बिल कई गुना बढ़ जाता है, जबकि 150 से 200 यूनिट की खपत होने पर यह राशि दो हजार रुपये तक पहुंच जाती है। जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर सहित प्रदेश के अनेक शहरों से शिकायतें मिल रही हैं कि केवल पंखा, कूलर और फ्रिज चलाने पर भी हजारों रुपये का बिल आ रहा है। भीषण गर्मी में एसी और कूलर चलाना मजबूरी बन जाता है, लेकिन इसकी कीमत आम आदमी को भारी बिजली बिल के रूप में चुकानी पड़ रही है।

सरकार का तर्क है कि सीमित संसाधनों के कारण सब्सिडी केवल कम खपत वाले उपभोक्ताओं को दी जा सकती है, जबकि अधिक खपत करने वालों से बाजार दर के अनुसार शुल्क लिया जाना चाहिए। लेकिन यह तर्क जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाता। पिछले पांच वर्षों में बिजली की दरों में कई बार बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ फिक्स चार्ज और अन्य अधिभार भी जुड़े हैं। ऐसे में 150 यूनिट तक की खपत होने पर भी बिल हजार रुपये से कम नहीं आता। इससे साफ है कि सब्सिडी का लाभ कागजों तक सीमित होता जा रहा है और आम उपभोक्ता को अपेक्षित राहत नहीं मिल पा रही है।

इसका सबसे अधिक असर निम्न और मध्यम आय वर्ग पर पड़ा है। एक ओर महंगाई लगातार बढ़ रही है, दूसरी ओर बिजली का बिल परिवार के मासिक खर्च का बड़ा हिस्सा बन गया है। कई परिवारों ने गर्मी के बावजूद कूलर और पंखे का उपयोग कम कर दिया है ताकि बिजली बिल नियंत्रित रहे। स्वास्थ्य विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि भीषण गर्मी में ऐसा करना हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याओं को बढ़ा सकता है। यानी महंगी बिजली का असर केवल जेब पर ही नहीं, बल्कि जनस्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है।

प्रदेश सरकार को इस विषय पर गंभीरता से विचार करना होगा। केवल आंकड़े जारी करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। जिन लाखों उपभोक्ताओं की सब्सिडी समाप्त हुई है, उनके लिए राहत के उपाय किए जाने चाहिए। सब्सिडी की सीमा बढ़ाने, स्लैब व्यवस्था की समीक्षा करने और बिजली वितरण कंपनियों की कार्यप्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाने की आवश्यकता है। साथ ही लाइन लॉस कम करने और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों, विशेषकर सौर ऊर्जा, को बढ़ावा देने पर भी ध्यान देना होगा। बिजली आज केवल एक सुविधा नहीं, बल्कि जीवन की मूलभूत आवश्यकता बन चुकी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और उद्योग— सभी बिजली पर निर्भर हैं। यदि बिजली का बढ़ता खर्च आम आदमी की पहुंच से बाहर होता गया, तो विकास के दावों का लाभ समाज के बड़े वर्ग तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए समय की मांग है कि सरकार इस समस्या का व्यावहारिक समाधान निकाले और आम उपभोक्ता को राहत दिलाने के लिए प्रभावी कदम उठाए।

एक देश, समान अधिकार : मध्य प्रदेश में यूसीसी की नई शुरुआत

मध्य प्रदेश यूसीसी लागू करने की दिशा में बढ़ने वाला चौथा राज्य बन गया है। यह केवल नया कानून नहीं, बल्कि समान नागरिक अधिकार, महिला सुरक्षा और संवैधानिक बहस का नया अध्याय भी है।

अपूर्व तिवारी

मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक-2026 के मसौदे को मंजूरी देकर एक ऐसे विषय पर पहल की है, जिस पर देश में लंबे समय से चर्चा होती रही है। यह केवल एक नया कानून बनाने का प्रयास नहीं है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद-44 में व्यक्त उस संकल्प को आगे बढ़ाने की दिशा में उठाया गया कदम भी है, जिसमें सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कही गई है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने और गुजरात व असम में इस दिशा में कदम बढ़ाने के बाद अब मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला चौथा राज्य बनने की ओर बढ़ रहा है। इससे साफ है कि यह विषय अब केवल राजनीतिक बहस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राज्यों की नीति और कानून निर्माण का हिस्सा बनता जा रहा है।

संविधान से विधान तक

समान नागरिक संहिता का विचार नया नहीं है। संविधान सभा में इस पर विस्तार से चर्चा हुई थी। डॉ. भीमराव आंबेडकर, के.एम. मुंशी और अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर जैसे संविधान निर्माताओं का मानना था कि नागरिक अधिकार धर्म के आधार पर अलग-अलग नहीं होने चाहिए। उस समय देश की परिस्थितियों को देखते हुए इसे नीति-निर्देशक तत्वों में रखा गया, ताकि भविष्य में जब माहौल अनुकूल हो तो सरकारें इस दिशा में कदम उठा सकें। बाद के वर्षों में सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मामलों में समान नागरिक संहिता की जरूरत का उल्लेख किया। शाह बानो और सरला मुद्गल जैसे मामलों में अदालत ने यह संकेत दिया कि अलग-अलग व्यक्तिगत कानून कई बार समान न्याय की भावना को कमजोर करते हैं।

क्या बदलेगा आम नागरिक के लिए

मध्य प्रदेश के प्रस्तावित यूसीसी में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और पारिवारिक मामलों के लिए समान कानूनी व्यवस्था बनाने का प्रयास किया गया है। मसौदे के अनुसार बहुविवाह पर रोक होगी, तीन तलाक और निकाह हलाला जैसी प्रथाएं अवैध मानी जाएंगी। विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य होगा तथा बेटा और बेटी दोनों को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। लिव-इन संबंधों के पंजीकरण का भी प्रावधान रखा गया है। ऐसे संबंधों से जन्मे बच्चों को वैध संतान का दर्जा मिलेगा और महिला को भरण-पोषण का अधिकार भी मिलेगा। इन प्रावधानों का उद्देश्य परिवार से जुड़े मामलों में स्पष्ट कानूनी व्यवस्था बनाना और महिलाओं तथा बच्चों को बेहतर सुरक्षा देना है।

चुनौतियां और संभावनाएं

इस विधेयक की एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अनुसूचित जनजातियों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। मध्य प्रदेश की बड़ी आदिवासी आबादी और उनकी पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। संविधान भी जनजातीय समुदायों की विशिष्ट पहचान और परंपराओं के संरक्षण की बात करता है। इससे यह संदेश मिलता है कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य सांस्कृतिक विविधता को खत्म करना नहीं, बल्कि नागरिक अधिकारों में समानता लाना है। अगर सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो इस कानून का सबसे अधिक असर महिलाओं के अधिकारों पर पड़ सकता है। लंबे समय से विवाह, तलाक और संपत्ति के अधिकारों में समानता की मांग उठती रही है। अनिवार्य विवाह पंजीकरण, समान उत्तराधिकार और भरण-पोषण के स्पष्ट प्रावधान महिलाओं की कानूनी स्थिति को मजबूत करेंगे। डिजिटल पंजीकरण की व्यवस्था लागू होने से फर्जी विवाह, बहुविवाह और दस्तावेजों से जुड़े विवादों में भी कमी आने की उम्मीद है। गोद लिए गए बच्चों, सरोगेसी और सहायक प्रजनन तकनीक से जन्मे बच्चों को समान कानूनी दर्जा मिलने से भी भविष्य के कई विवाद कम हो सकते हैं।

लिव-इन संबंधों से जुड़े प्रावधानों पर अलग-अलग राय सामने आना स्वाभाविक है। कुछ लोग इसे महिलाओं की सुरक्षा और सामाजिक जवाबदेही के लिए जरूरी मानते हैं, जबकि कुछ इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता से जोड़कर देखते हैं। किसी भी नए कानून के साथ ऐसे मतभेद सामने आते हैं। समय के साथ अदालतों की व्याख्या और व्यवहारिक अनुभव यह तय करेंगे कि इन प्रावधानों में कहीं बदलाव या सुधार की जरूरत है या नहीं।

सफलता की असली कसौटी

इतना बड़ा कानून लागू करना भी आसान नहीं होगा। सरकार को गांव से लेकर शहर तक विवाह और तलाक की पंजीकरण व्यवस्था मजबूत करनी होगी। प्रशासनिक तंत्र को प्रशिक्षित करना, लोगों को नए कानून की जानकारी देना और सभी संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना भी जरूरी होगा। किसी भी कानून की सफलता केवल उसके प्रावधानों से नहीं, बल्कि उसके निष्पक्ष और प्रभावी क्रियान्वयन से तय होती है। मध्य प्रदेश का यूसीसी केवल एक राज्य का विधेयक नहीं, बल्कि देश में समान नागरिक अधिकारों पर चल रही बहस का नया पड़ाव है। इस कानून का उद्देश्य किसी धर्म या परंपरा को चुनौती देना नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी अधिकार सुनिश्चित करना होना चाहिए। यदि इसे पारदर्शिता, संवेदनशीलता और संतुलित तरीके से लागू किया जाता है, तो यह महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने, न्याय व्यवस्था को सरल बनाने और कानून के समक्ष समानता के संवैधानिक सिद्धांत को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।

यूसीसी : एक नजर में

01 जनजातीय समुदायों को यूसीसी से छूट।	02 एक विवाह व्यवस्था, बहुविवाह पर रोक।
03 विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य।	04 निकाह हलाला जैसी प्रथाएं अवैध।
05 सभी बच्चों को समान कानूनी दर्जा।	06 बच्चे के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता।
07 बेटा-बेटी सहित सभी को समान उत्तराधिकार।	08 हत्यारे को विरासत का अधिकार नहीं।
09 संभत्ति की वसीयत करने की पूर्ण स्वतंत्रता।	10 लिव-इन संबंधों का पंजीकरण अनिवार्य।
11 लिव-इन छोड़ने पर महिला को भरण-पोषण का अधिकार।	12 लिव-इन से जन्मे बच्चों को वैध उत्तराधिकारी का दर्जा।
13 नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना और दंड का प्रावधान।	

यूसीसी की यात्रा

- **1835** ● समान कानून की पहली अवधारणा
- **1950** ● अनुच्छेद 44 लागू
- **1985** ● शाह बानो फैसला
- **1995** ● सरला मुद्गल फैसला
- **2025** ● उत्तराखंड में यूसीसी लागू
- **2026** ● मध्य प्रदेश कैबिनेट ने मसौदा मंजूर

तथ्य

यूसीसी से पहले	यूसीसी के बाद
अलग-अलग व्यक्तिगत कानून	समान नागरिक कानून
बहुविवाह की अलग व्यवस्था	नारी का सम्मान एक विवाह व्यवस्था
अलग उत्तराधिकार नियम	बराबरी का अधिकार समान उत्तराधिकार
कई विवाह अपंजीकृत	विवाह पंजीकरण अनिवार्य

> समान नागरिक संहिता का उद्देश्य धर्म बदलना नहीं, बल्कि नागरिक अधिकारों में समानता सुनिश्चित करना है।

आगे क्या? अब असली चुनौती कानून बनाना नहीं, बल्कि उसका निष्पक्ष और प्रभावी क्रियान्वयन है। समाज का विश्वास ही इसकी सबसे बड़ी कसौटी होगा।

महिलाओं को सबसे अधिक लाभ ▸▸ समान उत्तराधिकार ▸▸ विवाह का कानूनी पंजीकरण ▸▸ बहुविवाह पर रोक ▸▸ भरण-पोषण का अधिकार ▸▸ लिव-इन से जन्मे बच्चों को वैध दर्जा

आजकल

सैंपल में पानी साफ, नल से बदबूदार पानी

भोपाल के रिहायशी इलाकों में भरोसे का संकट गहराया

भोपाल के कई रिहायशी इलाकों में पिछले कुछ दिनों से पेयजल की गुणवत्ता को लेकर गंभीर शिकायतें सामने आ रही हैं। रहवासियों का कहना है कि नलों से बदबूदार और दूषित पानी आ रहा है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं। बच्चों और बुजुर्गों में उल्टी, दस्त तथा पेट दर्द की शिकायतें भी सामने आई हैं। यह स्थिति इंदौर के भागीरथपुरा की घटना की याद दिलाती है, जहां पाइपलाइन में सीवेज का पानी मिलने का मामला सामने आया था।

नगर निगम ने शिकायतों के बाद पानी के नमूने लेकर जांच कराई। रिपोर्ट में पानी को मानकों के अनुरूप और पीने योग्य बताया गया। अधिकारियों का कहना है कि ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाला पानी पूरी तरह सुरक्षित है और सप्लाई लाइन में भी कोई गड़बड़ी नहीं है। इसके बावजूद लोगों की शिकायतें लगातार जारी हैं। यही विरोधाभास सबसे बड़ी चिंता का विषय है।

इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सैंपल लेने और पानी की वास्तविक सप्लाई के समय में अंतर, पुरानी और जर्जर पाइपलाइन, कम दबाव के दौरान सीवेज का रिसाव तथा घरों की टंकियों की सफाई न होना भी समस्या की वजह बन सकता है। केवल प्रयोगशाला की रिपोर्ट से लोगों का भरोसा नहीं लौटेगा, क्योंकि नागरिक अपने घरों में बदबूदार पानी आने का दावा कर रहे हैं।

नगर निगम को शिकायत वाले क्षेत्रों में अलग-अलग समय पर और अलग-अलग घरों से पानी के नमूने लेने चाहिए। जांच प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग, जियो-टैगिंग के जरिए लीकेज की पहचान और स्थानीय नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। साथ ही प्रत्येक वार्ड में नियमित रूप से पानी की गुणवत्ता की सार्वजनिक रिपोर्ट जारी हो।

मेट्रोपोलिटन रीजन में नई व्यवस्था, अब जनता चुनेगी विकास की दिशा

राज्य सरकार ने नगरीय विकास एवं आवास विभाग के माध्यम से महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास नियम, 2026 जारी किए हैं। इसके तहत राज्य के बड़े शहरों में मेट्रोपोलिटन रीजन बनाकर उनके सुनियोजित विकास की नई व्यवस्था लागू की गई है। इसका उद्देश्य तेजी से बढ़ते शहरीकरण को नियंत्रित करना और भविष्य के विकास को योजनाबद्ध बनाना है। सरकार ने इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम यह उठाया है कि अब मेट्रोपोलिटन रीजन की प्लानिंग कमेटी में 30 सदस्य निर्वाचित होंगे, जिससे विकास कार्यों में जनता की भागीदारी सुनिश्चित होगी। यह व्यवस्था प्रदेश के सभी बड़े शहरों में लागू की जाएगी, ताकि शहरीकरण की चुनौतियों का समाधान एक समान नीति के तहत किया जा सके।

नए नियमों के अनुसार प्रत्येक मेट्रोपोलिटन रीजन के लिए 45 सदस्यीय प्लानिंग कमेटी का गठन होगा। इसमें 30 सदस्य निर्वाचित तथा 15 सदस्य पदेन एवं विशेष आमंत्रित होंगे। निर्वाचित सदस्यों का चयन संबंधित नगरपालिकाओं और पंचायतों के जनप्रतिनिधियों में से जनसंख्या के अनुपात में किया जाएगा। नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्य और पंचायतों के अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। यदि किसी सदस्य का कोई आर्थिक हित पाया जाता है तो सरकार उसे हटा सकेगी। कमेटी की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे तथा नगरीय विकास मंत्री इसके उपाध्यक्ष होंगे। कमेटी की बैठक प्रत्येक छह माह में होगी और मेट्रोपोलिटन कमिश्नर इसके सदस्य सचिव होंगे। शहरी नियोजन, पर्यावरण, परिवहन और अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों को भी विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया जाएगा, ताकि योजनाओं में तकनीकी दृष्टिकोण शामिल हो सके। नियमों के तहत मेट्रोपोलिटन अथॉरिटी का गठन भी किया गया है, जिसके प्रमुख के रूप में राज्य सरकार एक कमिश्नर नियुक्त करेगी। कमिश्नर ही अथॉरिटी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी होंगे और पूरे क्षेत्र में विकास कार्यों की निगरानी करेंगे। अथॉरिटी में नियोजन, अभियंत्रिकी तथा अन्य विभागों के अधिकारियों को भी सदस्य बनाया जाएगा। इसे विकास अनुज्ञा देने, शुल्क वसूलने तथा नियमों का पालन सुनिश्चित करने का अधिकार दिया गया है। साथ ही, यह प्रत्येक वर्ष आय-व्यय का विवरण और आगामी वर्ष की कार्ययोजना तैयार कर शासन को प्रस्तुत करेगी। प्रत्येक मेट्रोपोलिटन रीजन के लिए एक महानगर विकास एवं निवेश योजना भी तैयार की जाएगी। योजना का प्रकाशन कर उस पर जनता से दावे और आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। एक समिति इनका परीक्षण कर निराकरण करेगी, जिसके बाद योजना का राजपत्र अधिसूचना जारी होगी। राज्य सरकार आवश्यकता पड़ने पर स्वप्रेरणा से अथवा समिति या अथॉरिटी के अनुरोध पर योजना में संशोधन भी कर सकेगी, ताकि भविष्य की बड़ी राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय परियोजनाओं को इसमें समायोजित किया जा सके।

मेट्रोपोलिटन अथॉरिटी को वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार भी दिए गए हैं। विकास कार्य पूरा होने के बाद वह क्षेत्र के उपभोक्ताओं से विकास प्रभार वसूल सकेगी। अथॉरिटी अपनी संपत्तियों का निपटान ऑनलाइन बोली के माध्यम से करेगी तथा पूर्व निर्धारित मूल्य पर लॉटरी से आवंटन भी कर सकेगी। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को पीपीपी मोड पर लागू करने के लिए सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और निजी निवेश को प्रोत्साहित करना है।

परिवहन व्यवस्था को भी एकीकृत करने का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक मेट्रोपोलिटन रीजन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण बनाया जाएगा। इसमें संबंधित विभागों के सचिव और परिवहन विशेषज्ञ शामिल होंगे। यह प्राधिकरण मेट्रो, बस और अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को जोड़ते हुए एकीकृत परिवहन योजना तैयार करेगा। इसका उद्देश्य नागरिकों को सुगम, सस्ती और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना तथा ट्रैफिक जाम और वायु प्रदूषण को कम करना है।

इस नई व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता जनभागीदारी है। निर्वाचित सदस्य अपने क्षेत्र की जमीनी समस्याओं को प्रभावी ढंग से सामने रख सकेंगे। पानी, सड़क, सीवेज, हरित क्षेत्र और आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं की योजनाएं अब जनता की जरूरतों के अनुरूप बन सकेंगी। इससे विकास अधिक संतुलित और समावेशी होगा तथा जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही भी बढ़ेगी।

तेजी से बढ़ते शहरीकरण के बीच यदि समय रहते नियोजन नहीं किया गया तो अव्यवस्थित विकास, भूमि के गलत उपयोग, अवैध कॉलोनियों, यातायात की समस्या और जल संकट जैसी चुनौतियां और गंभीर होंगी। नए नियम इन समस्याओं के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। भूमि उपयोग पहले से तय किया जा सकेगा, हरित क्षेत्रों का संरक्षण होगा और बुनियादी सुविधाओं का विकास जनसंख्या के अनुरूप किया जा सकेगा। हालांकि, इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि चुनाव समय पर और निष्पक्ष हों, कमेटी के निर्णयों पर प्रभावी अमल हो तथा अथॉरिटी को पर्याप्त वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता मिले। यदि ऐसा हुआ तो महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास नियम, 2026 प्रदेश के शहरी विकास की नई दिशा तय करने के साथ शहरों को अधिक सुव्यवस्थित, संतुलित और रहने योग्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

शिक्षा के क्षेत्र में भर्राशाही, आखिर जिम्मेदार कौन?

राज्य में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं। डिजिटल निगरानी, सख्त निरीक्षण और भ्रष्टाचार-मुक्त व्यवस्था की बातें लगातार की जा रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इसके विपरीत नजर आती है। शिक्षा के क्षेत्र में फैली भर्राशाही, लापरवाही और मिलीभगत ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीएड कॉलेजों को बिना पर्याप्त संसाधनों के मान्यता मिलना, शिक्षकों की फर्जी नियुक्तियां, संदिग्ध दस्तावेजों के आधार पर फाइलों का आगे बढ़ना और निरीक्षण रिपोर्टों की अनदेखी इस बात का संकेत है कि व्यवस्था में कहीं न कहीं गंभीर खामी है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जब सरकार पारदर्शिता और गुणवत्ता की बात कर रही है तो उसके प्रयासों को कमजोर कौन कर रहा है।

हाल ही में सामने आया एक बीएड कॉलेज का मामला इसका बड़ा उदाहरण है। निरीक्षण टीम ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा था कि कॉलेज में पर्याप्त कक्षाएं, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, योग्य शिक्षक, फर्नीचर तथा पानी और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हैं। कई दस्तावेज भी संदिग्ध पाए गए थे। इसके बावजूद फाइल आगे बढ़ गई और कॉलेज को संचालन की अनुमति मिल गई। बाद में हुए औचक निरीक्षण में स्पष्ट हो गया कि कागजों पर दिखाई गई व्यवस्थाएं वास्तविकता से मेल नहीं खाती थीं। इसके बावजूद छात्रों से मोटी फीस लेकर उन्हें डिग्री देने का सिलसिला चलता रहा। यह केवल एक कॉलेज की कहानी नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था का संकेत है जहां मानकों की अनदेखी कर मान्यताएं दी जा रही हैं।

सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। किसी भी संस्था को मान्यता देने की प्रक्रिया स्थानीय निरीक्षण से शुरू होकर जिला, संभाग और राज्य स्तर तक पहुंचती है। यदि किसी एक स्तर पर भी ईमानदारी से काम हो जाए तो ऐसी अनियमितताओं की गुंजाइश कम हो सकती है। लेकिन जब हर स्तर पर जवाबदेही कमजोर पड़ जाती है तो जिम्मेदारी तय नहीं हो पाती। निरीक्षण रिपोर्ट, फाइलों की जांच और अंतिम अनुमति देने वाले प्रत्येक अधिकारी की भूमिका स्पष्ट होनी चाहिए। यदि किसी स्तर पर लापरवाही या मिलीभगत साबित होती है तो उसके लिए कठोर कार्रवाई आवश्यक है।

मुख्यमंत्री कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि शिक्षा में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कॉलेजों के नियमित भौतिक सत्यापन और रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके बावजूद यदि इन निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है तो इसकी जवाबदेही तय होना जरूरी है। केवल आदेश जारी करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी भी उतनी ही आवश्यक है। निरीक्षण करने वाले अधिकारी से लेकर अंतिम स्वीकृति देने वाले अधिकारी तक सभी की जवाबदेही तय होनी चाहिए और दोषी पाए जाने पर तत्काल निलंबन तथा कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।

इस तरह की अनियमितताओं का सबसे बड़ा नुकसान छात्रों और उनके अभिभावकों को होता है। वे भारी फीस इस उम्मीद से चुकाते हैं कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, लेकिन कॉलेजों में न पर्याप्त शिक्षक होते हैं, न प्रयोगशालाएं और न ही आवश्यक शैक्षणिक सुविधाएं। बाद में डिग्री की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न उठते हैं। बीएड जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में यदि गुणवत्ता से समझौता होगा तो भविष्य में स्कूलों तक इसका सीधा असर पहुंचेगा और शिक्षा की नींव कमजोर होगी।

अब आवश्यकता ठोस और प्रभावी कदम उठाने की है। मान्यता और निरीक्षण की पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनाई जाए। प्रत्येक कॉलेज की मान्यता, शिक्षकों की सूची, आधारभूत सुविधाओं और निरीक्षण रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। स्वतंत्र एजेंसी से समय-समय पर थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाए तथा शिकायतों के त्वरित निराकरण की प्रभावी व्यवस्था विकसित की जाए। दोषी पाए जाने वाले कॉलेजों की मान्यता रद्द करने के साथ-साथ संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाए। मुख्यमंत्री की मंशा और नीति पर प्रश्न नहीं हैं, चुनौती उनके प्रभावी क्रियान्वयन की है। शिक्षा के क्षेत्र में फैली भर्राशाही किसी एक व्यक्ति या विभाग की नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था की कमजोरी का परिणाम है। इस चक्र को तोड़ने के लिए सरकार को पारदर्शिता, जवाबदेही और सख्त कार्रवाई को प्राथमिकता देनी होगी। आखिर सवाल केवल फाइलों या मान्यताओं का नहीं, बल्कि लाखों छात्रों के भविष्य का है। यदि समय रहते इस व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो शिक्षा की गुणवत्ता के साथ-साथ राज्य का भविष्य भी प्रभावित होगा। इसलिए अब आवश्यक है कि दोषियों के विरुद्ध त्वरित और कठोर कार्रवाई कर यह स्पष्ट संदेश दिया जाए कि शिक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)